

समाहरणालय, रोहतास, सासाराम।


(जिला नजारत प्रशाखा)

अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण

समाहरणालय रोहतास, सासाराम, के परिसर में अवस्थित जिला परिवहन कार्यालय रोहतास के भवन में निर्मित कैंटिन में चाय/अल्पाहार की व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा डालने की अंतिम तिथि 28.08.2017 को अपराह्न 1.00 बजे तक निर्धारित की गई है। निविदा उसी दिन क्रय समिति के समक्ष शाम 4.00 बजे खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय स्वयं निविदादाता अथवा उसके द्वारा प्रधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निविदादाताओं को जिला क्रय समिति के समक्ष कैंटिन के परिचालन से संबंधित प्रस्तुतीकरण देना होगा।

निविदा की शर्तें

1. कैंटिन के लाइसेंसधारक को कैंटिन का संचालन समाहरणालय, रोहतास, सासाराम के परिसर में अवस्थित कार्यालयों के पदाधिकारी/कर्मचारी/आगंतुकों की सेवा एवं उपयोग के लिए करना होगा।
2. अनुभवी फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी। एतदर्थ उन्हें अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
3. सफल निविदादाता को 9:30 बजे पूर्वाह्न से 7:00 बजे अपराह्न तक कार्यालय दिवस के दिन कैंटिन का संचालन करना होगा। अवकाश के दिनों में आवश्यकतानुसार प्रशासन के निदेश पर भी कैंटिन खोलना होगा।
4. निविदादाता को प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये सामग्री की सूची के अनुरूप सामग्री की बिक्री करनी होगी।
5. निविदादाता के द्वारा कैंटिन प्रारंभ करने के लिए सभी प्रकार के फर्निचर एवं अन्य उपस्कर की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
6. कैंटिन का लाइसेंस प्राप्त करने वाले निविदादाता को सुरक्षित जमा राशि के रूप में 50,000/- (पचास हजार रुपये) का फिक्स डिपोजिट/ किसान विकास पत्र प्रमाण के रूप में एकारनामा के समय जमा करना होगा। जिस पर किसी प्रकार का सूद देय नहीं होगा।
7. सेवा में कमी पाये जाने पर एक माह पूर्व नोटिस देकर लाइसेंस रद्द करने का अधिकार जिला प्रशासन के पास रहेगा।
8. किसी भी परिस्थिति में कैंटिन लाइसेंसधारी कैंटिन चलाने का अधिकार किसी अन्य को किराया पर नहीं दे सकते हैं।
9. कैंटिन भवन/ परिसर को साफ-सुथरा रखना चयनित एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।
10. सामग्री का दर सूची सही स्थल पर **बोल्ड लेटर** में प्रदर्शित करना होगा तथा चयनित निविदादाता को उच्च गुणवत्ता का खाद्य सामग्री मानक दर पर उपलब्ध कराना होगा।
11. कैंटिन को चलाने एवं रख-रखाव में व्यय की गई राशि के लिए जिला प्रशासन की जबाबदेही नहीं होगी।
12. सफल निविदादाता को कैंटिन का लाइसेंस एक वर्ष के लिए दिया जाएगा। सहमति बनने पर लाइसेंस का विस्तार करने का निर्णय जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा।
13. लाइसेंस धारी को विद्युत की व्यवस्था एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
14. जिला परिवहन कार्यालय भवन में अवस्थित कैंटिन का किराया अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम के द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
15. निविदादाता को उल्लंघन करने पर जमा राशि जमा कर ली जायेगी।
16. किसी प्रकार की गुणवत्ता/मूल्य/सेवाओं में विवाद होने पर जिला प्रशासन का निर्णय सर्वोपरि होगा।
17. शर्त का उल्लंघन करने पर चयनित निविदादाता को काली सूची में डालने एवं उनके अग्रधन की राशि जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
18. कैंटिन को आग से सुरक्षा के उपकरण को स्थापित करना होगा। साथ ही बाल श्रम से मुक्त रखना होगा।
19. निविदा को बिना कारण बताये संशोधन करने/स्थगित करने/ रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
20. निविदादाताओं को अद्यतन आयकर/आवासीय प्रमाण पत्र/पैन कार्ड का साक्ष्य संलग्न करना होगा।
21. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 5000 (पांच हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट "जिलाधिकारी, रोहतास" के पदनाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदा में असफल होने पर जमा अग्रधन की राशि वापस कर दी जाएगी।


जिला पदाधिकारी
रोहतास, सासाराम